उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–25/2016–17
यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो
बनाम्
मेसर्स एस0 के0 भेराईटी एण्ड जेनरल स्टोर्स
–: आदेश :–

15.09.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो द्वारा धारा 14 (**1 and 2**) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत मेसर्स एस0 के0 भेराईटी एण्ड जेनरल स्टोर्स, प्रो0 संजय कुमार सिंह पिता कमलेश सिंह सा0–विद्यापति नगर, जोधाडीह मोड़, चास, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षो को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (मौज़ा–भवानीपुर, सोलागीडीह थाना सं0–52 खाता सं0–13, प्लॉट सं0–873 उप प्लॉट सं0–48, रकवा–07 डी0) को गिरवी रखते हुए 30,00,000/ (तीस लाख) रूपये का बैंक से ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋृण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–30.09.2015 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। अतः उन्होंने SARFAESI ACT–2002 की धारा–14 (1 and 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भगं नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष को स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजा गया था, किन्तु डाक विभाग के द्वारा ''पता नहीं चला'' (लिफाफे के उपर) लिख कर नोटिस को वापस कर दिया गया। पुनः विपक्षी को अपना

पक्ष रखने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। उसके बाद भी वह सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें ।

लेखापित एवं संशोधित।

15.09.18

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

15-09.18

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.27 17:30:00 +05:30
Location: 192.168.1.101